

प्रमुख,

श्री अशोक मण्डली,  
उप राज्य  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा विभाग केन्द्र 2, मुद्राग भवन,  
प्रतिष्ठान नई दिल्ली ।

दिनांक 171 अनुभाग

संलग्न दिनांक: 31 मार्च, 1995

विषय/- उच्च स्नातकोत्तर को सीपीपीएसओ नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु विचार के सम्बन्ध में ।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कृपया का निदेश हुआ है कि उच्च स्नातकोत्तर को सीपीपीएसओ नई दिल्ली से सम्बन्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रायश्चित नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पर्यवेक्षण तोताइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रमुख भूमि में शिक्षा निदेशक द्वारा मायिा एक संपन्न होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रशिक्षण स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए नियुक्ति हेतु से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केविक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वेलोपमेंट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होनी ही सिध से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान रकमा सम्बन्ध हो जायेगी ।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शि्षणकार कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

17। राज्य सरकार द्वारा समय पर जो भी आदेश निरीत किये जायें, तैरवा उनका पालन करनी ।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/फॉर्मों में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वाग्रहों के बिना कोई परिष्कार/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होना कि तैरवा को सम्बन्धित दिये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित दिये जाने के पक्षस्थल के अर्थ में विद्यालय पर हस्तगत न रहे तथा यह कि निर्धारित अन्य में अनिवार्य प्रतिबन्धित हो ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरवा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि तैरवा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या विचलित करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अनापत्तित प्रमाण पर आपत नै लिया जायेगा ।

भवदीय,

ह-

अजीत मांजरी  
उप सचिव ।

Handwritten signature

Handwritten notes and stamps including '31.2.95' and 'उप सचिव, शिक्षा, राजस्थान सरकार'.

पुणे 111/15-7-1995 तदतिरिक्त

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुलभार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेश, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मध्यम और शिक्षा निदेश नैरठ ।
- 3- बिना विद्यालय निरीक्षण नैरठ ।
- 4- निरीक्षण, उच्च भारतीय विद्यालय 2030 लखनऊ ।
- 5- प्रबन्ध, उच्च भारतीय नैरठ ।

आशा है,

ह-

अजीत मांजरी  
उप सचिव ।